(क) जी हां,

(ख) जी, नहीं

(ग) उत्प्रवास अधिनियम, 1983 इस बात की व्यवस्था करता है कि कोई नियोजक भारत के किसी नागरिक को ऐसी भर्ती करने के लिए अधिनियम के अधीन सक्षम भर्ती एजेंट के माध्यम से अथवा अधिनियम के अधीन जारी वैध अनुज्ञा-पत्र के अनुसार किसी देश में या भारत के बाहर भर्ती कर सकता है। उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत चूककर्ता भर्ती एजेंटों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र को निलम्बित/निरस्त किया जा सकता है। उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत किए गए अपराध दण्डनीय हैं एवं उनके लिए सख्त कारावास की सजा एवं जुर्माना निर्धारित किया गया है। उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के प्रावधानों के अतिरिक्त अन्य उपाय जैसे, भर्ती एजेन्टों द्वारा उप एजेंटों की नियुक्ति पर रोक, विदेश स्थित भारतीय मिशनों द्वारा रोजगार दस्तावेजों को प्रमाणित करने की प्रणाली तथा उत्प्रवास सरक्षी द्वारा रोजगार की शर्तों का परीक्षण विदेश में रोजगार प्राप्त करने के लिए उत्प्रवास क्लीयरेंस प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के संरक्षण एवं कल्याण की व्यवस्था करते हैं।

Provident Fund dues to PSU Employees

1521. SHRI GHUFRAN AZAM : Will the Minister of Labour be pleased to state :

(a) whether it is a fact that due to extreme financial difficulties being faced by some sick Public Sector Undertakings the dues against these PSUs on account of Provident Fund, ESI and Insurance Scheme of the workers have been sharply increasing;

(b) whether Government have reviewed such cases and have not yet worked out any process of settlement;

(c) whether the Central Government would now provide some additional funds to such sick PSUs to enable them to remit workers/staff dues on the above accounts;

(d) if so, the details thereof;

(e) the details of each PSUs against whom these accounts are pending with respective amounts or dues on the above accounts; and

(f) What further steps are being taken to protect the employees and management?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA) : (a) to (f) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Reconciliation of disputes by Regional Labour Commissiners (Central)

1522. SHRI GHUFRAN AZAM : Will the Minister of Labour be pleased to state:

(a) whether Government have been delaying disposal of applications received from various Regional Labour Commissioners in the matter of reconciliation of disputes between employees and employers where efforts of reconciliation have failed in the offices of Regional Labour Commissioners (Central) ;

(b) whether a large number of such cases have also been coming from Regional Labour Commissioner (Central), Kanpur for the last three years and no further action or ways for settlement have been given by the Central Government so far;

(c) the details of cases of disputes between various employees and employers that have been sent by the RLC (Central), Kanpur during the last three years; and

(d) what further steps are being taken to provide relief to aggrieved employees?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P.A. SANGMA) : (a) The Government receives the Failure of Conciliation (FOC) Reports from the Officers of Central Industrial Relations Machinery for appropriate action under Section 10(1) of the I.D. Act, 1947. The disposal of such Reports takes some time due to the mandatory requirement

of providing 60 days time to the Administrative Ministries for making fresh efforts to settle the dispute or furnish their comments; calling for the additional information from the Conciliation Officer/Union/management and the matter being subjudice, etc.

(b) Ministry of Labour had received 449 FOC Reports in the year 1990, 340 in the year 1991 and 338 in the year 1992 from the offices coming under the Regional Labour Commissioner (Central), Kanpur. Out of these, all the FOC Reports received in the years 1990 and 1991 have been disposed. There are only 123 FOC Reports, out of 338 received in the year 1992 which are at various stages of processing and have not been finally disposed.

(c) Out of the 1127 FOC Reports received from RLC (Central), Kanpur, during the last three years, 478 pertained to Banks, 258 to Central Public Sector Undertakings, 202 to Railways, 131 to P&T Department, 48 to Defence, 7 to Non-Coal Mines and 3 to Coal-Mines.

(d) Wherever the Government considers that an industrial dispute is in existence, it is referred to the Central Government Industrial Tribunal/State Government Industrial Tribunal/Labour Court for determining the relief to the aggrieved employees.

पंजीकृत भर्ती एजेंटों के विरुद्ध शिकायतें

1523. **चौधरी हर मोहन सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान पंजीकृत एजेंटों द्वारा धोखाधड़ी की कितनी-कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसी शिकायतों की ठीक तरह से जांच नहीं की जाती है;

(ग) उक्त वर्षों के दौरान कितने व्यक्तियों को सजा दी गयी;

(घ) क्या यह भी सच है कि सजा केवल पंजीकरण के निलम्बन तक ही सीमित होती है;

(ङ) क्या सरकार उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के उपबंधों को लागू करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के कार्यकरण की समीक्षा करने का विचार रखती है; और

(च) यदि हां, तो, पिछले 2 वर्षों के दौरान ऐसी समीक्षा कितनी बार की गई ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री **पी ए. संगमा**) : (क) पंजीकृत भर्ती एजेन्टों द्वारा की गई धोखाधड़ी से संबंधित प्राप्त की गई शिकायतों की संख्या निम्नानुसार है :—

वर्ष	शिकायतों की संख्या
1991	54
1992	69
1993	27
(31-3-93 तक)	

(ख) से (घ) पंजीकृत भर्ती एजेंटों के विरुद्ध जैसे ही कोई शिकायत प्राप्त होती है, उस शिकायत की प्रकृति के आधार पर पुलिस अथवा विदेश स्थित संबंधित भारतीय मिशन की सहायता से उसकी जांच की जाती है। वर्ष 1991, 1992 तथा 1993 (31-3-1993 तक) के दौरान 10 भर्ती की एजेंटों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र निलम्बित किए गये थे। निलम्बन की अवधि के दौरान इन एजेंसियों को विदेशों में रोजगार देने सम्बन्धी व्यवसाय करने की अनुमति नहीं थी। ऐसे अपराधों को उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत दण्डनीय बनाया गया और उनके लिए कठोर कारावास एवं जुर्माना निर्धारित किया गया है।

(ङ) और (च) उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए प्रक्रियाओं एवं दिशानिर्देशों का निर्धारण पहले ही किया जा चुका है। उत्प्रवास संरक्षी को यह सलाह दी है गई है कि वे उत्प्रवास प्रक्रिया का गम्भीरता से पालन करें। जब कभी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किए गए किसी अनाचार की सूचना मंत्रालय को प्राप्त होती है तो उसके विरुद्ध सी. सी. एस. (सी.सी.एण्ड ए.) नियमावली, 1965 के अन्तर्गत समुचित कार्रवाई की जाती है।